



राजस्व एवं आपदा प्रबन्ध विभाग
(हरियाणा सरकार)

नव सचिवालय भवन हरियाणा, सैक्टर-17, चण्डीगढ़-160017

यादी क्रमांक 3656-स्टर-I-2015 / 1111
चण्डीगढ़, दिनांक 04-02-2016

सेवा में

1. राज्य के सभी उपायुक्त।
2. राज्य के सभी नगराधीश।
3. राज्य के सभी तहसीलदार।

विषय:-- Representation to implement the provision of the Haryana Agricultural Credit operations and Miscellaneous provisions (Banks) Act, 1973 in letter and spirit.

उपरोक्त विषय पर सरकार के ध्यान में आया है कि जब किसान बैंक से भूमि ऋण लेने हेतु सब रजिस्ट्रारों के पास रहणनामा पंजीकृत करवाने हेतु जाते हैं तो उन्हें कई कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। अतः Haryana Agricultural Credit operations and Miscellaneous provisions (Banks) Act, 1973 की प्रतियां भेजते हुए निर्देश दिए जाते हैं कि उक्त अधिनियम का कड़ाई से पालन किया जाए और प्रेस के माध्यम से इसका प्रचार / (Publicity) भी किया जाए।

o/c

संजीव कुमार
अधीक्षक स्टाम्प एण्ड रजिस्ट्रेशन
कृते: अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं वित्तायुक्त, हरियाणा
सरकार, राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन विभाग।

पृ0 क्रमांक 3656-स्टर-I-2015 / 1112

चण्डीगढ़, दिनांक 04-02-2016

इसकी एक प्रति श्री अभिनित तनेजा पुत्र श्री आर.सी.तनेजा निवासी मकान नं0. 1459 सैक्टर-11, पंचकूला-134109 को उनके पत्र दिनांक 15.11.2015 के सन्दर्भ में सूचनार्थ भेजी जाती है।

o/c

संजीव कुमार
अधीक्षक स्टाम्प एण्ड रजिस्ट्रेशन
कृते: अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं वित्तायुक्त, हरियाणा